

विशिष्टताएं

संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के वित्त लेखे (यू जी एफ ए) और संघीय सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखों का विश्लेषण करता है। यह प्रतिवेदन वित्त वर्ष 20 के लिए संघ सरकार के वित्त पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है और वित्त वर्ष 20 के लिये यू जी एफ ए तथा संघ सरकार के विनियोग लेखों पर सी ए जी की टिप्पणियां शामिल करता है।

अध्याय 1: संघीय वित्तों का विहंगावलोकन

- राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में बजट अनुमानों (बी ई) की तुलना में संशोधित अनुमानों (आर ई) के स्तर पर ₹94,611 करोड़ की कमी रही। हालांकि, वास्तविक राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान से ₹2,05,344 करोड़ और कम थी। यह मुख्यतः 'निगम कर से अतिरिक्त आय पर कर' (₹66,652 करोड़), निगम कर (₹53,624 करोड़), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹19,929 करोड़), और गैर-कर राजस्व (₹57,349 करोड़) के प्रकरणों में आर ई की तुलना में वास्तविक के कम संग्रहण के कारण था। राजस्व व्यय के अनुमानों को आर ई स्तर पर ₹79,776 करोड़ कम किया परंतु वास्तविक राजस्व व्यय आर ई से ₹38,445 करोड़ और अधिक कम रहा। वह शीर्ष जिनके अंतर्गत वास्तविक राजस्व व्यय आर ई से उल्लेखनीय रूप से कम थे, में भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों का कार्यरत व्यय (₹28,639 करोड़), ब्याज भुगतान (₹8,740 करोड़) और सामान्य शिक्षा (₹4,764 करोड़) सम्मिलित थे।
- गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के प्रकरण में "विविध पूंजीगत प्राप्तियां" के अंतर्गत वास्तविक, आर ई से ₹14,696 करोड़ कम थे, जिसमें मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विनिवेश तथा मुद्राकरण से आय सम्मिलित थी। पूंजीगत व्यय के प्रकरण में, पूर्वोत्तर के लिए शीर्ष के अंतर्गत बचत को हटाकर, वास्तविक और आर ई के बीच अंतर (₹ 2,784 करोड़) आंशिक थे जिसमें बी ई से आर ई में ₹17,000 करोड़ बढ़ाए गए थे।

(पैरा 1.3)

- वित्त वर्ष 20 के दौरान, संघ सरकार ने ₹1,21,07,987 करोड़ के कुल संसाधन जुटाए। सकल राजस्व प्राप्तियों में सम्मिलित कर राजस्व (₹20,10,059 करोड़),

गैर-कर राजस्व (₹5,88,328 करोड़) और बाह्य सहायता (₹373 करोड़) ने संसाधनों में 21 प्रतिशत का योगदान दिया। सरकार के कुल जुटाए संसाधन में ऋण प्राप्तियां (₹73,01,387 करोड़) 60 प्रतिशत थीं।

- वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल संसाधनों में से, 83 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर लगाए जिसमें ऋण पुनर्भुगतान (52 प्रतिशत), लोक लेखा दायित्वों का निर्वहन (17 प्रतिशत), ब्याज भुगतान (पांच प्रतिशत) और राज्यों को सकल कर प्राप्तियों के अनिवार्य हस्तांतरण (पांच प्रतिशत) सम्मिलित थे। शेष में से, राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सहायता अनुदान के लेखांकन तथा अंत नकद शेष (चार प्रतिशत) के बाद सरकार के पास अपनी गतिविधियों पर खर्च के लिए सकल जुटाव का 17 प्रतिशत बचा था।

(पैरा 1.4)

- वित्त वर्ष 20 में कुल प्राप्तियां 7.23 प्रतिशत (₹6,28,286 करोड़) वर्ष दर वर्ष बढ़ गईं। गैर-ऋण प्राप्तियों में 4.42 प्रतिशत (₹85,381 करोड़) वृद्धि और ऋण प्राप्तियों में 8.03 प्रतिशत (₹5,42,905 करोड़) की वृद्धि थी।
- वित्त वर्ष 19 की तुलना में कर राजस्व में ₹40,371 करोड़ की (तीन प्रतिशत) आंशिक वृद्धि रही जबकि गैर-कर राजस्व (एन टी आर) में ₹1,01,940 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि रही। एन टी आर के प्रकरण में, लाभांश/लाभ से प्राप्तियों में ₹72,715 करोड़ (64 प्रतिशत) की वृद्धि रही जोकि मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से आधिक्य/लाभांश की उच्चतर प्राप्ति के कारण थी।
- वित्त वर्ष 19 की तुलना में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में, प्रीमियम में कमी, यू टी आई के निर्दिष्ट उपक्रम की प्राप्तियों में कमी और “राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से आय” की गैर-प्राप्ति के कारण गिरावट आई।
- वित्त वर्ष 20 में पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹3,53,749 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य तौर पर “सहायता अनुदान और अंशदानों” तथा “सामाजिक सेवाओं” पर उच्चतर व्यय के कारण थी। दूसरी तरफ, पूंजीगत लेखों पर व्यय में ₹11,779 करोड़ (2.95 प्रतिशत) की कमी आई जोकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण पर व्यय में कटौती के कारण था।

(पैरा 1.5)

- परिसंपत्ति के प्रकरण में, पिछले दो वर्षों के दौरान, संचयी पूंजीगत व्यय के 34 प्रतिशत में संघ सरकार का सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों में निवेश सम्मिलित था। शेष 66 प्रतिशत संचयी व्यय परिवहन क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक कार्य आदि में अवसंरचना निर्माण के लिए था। देयताओं के प्रकरण में, वित्त वर्ष 19 में ₹70,74,941 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में ₹80,20,490 करोड़ के आंतरिक ऋण ने कुल देयताओं के लगभग 87 प्रतिशत का गठन किया।

(पैरा 1.6)

- वित्त वर्ष 16 से 20 के दौरान, सकल प्राप्तियों ने बढ़ती प्रवृत्ति दर्शायी परंतु वित्त वर्ष 20 में एक प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दिखी। सकल कर राजस्व में वित्त वर्ष 17-19 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दिखी जबकि वित्त वर्ष 20 में वृद्धि नकारात्मक हो गयी। गैर-कर राजस्व में वित्त वर्ष 16-20 के दौरान बढ़ता-घटता क्रम दिखा, जिसमें वित्त वर्ष 20 में पर्याप्त मात्रा में उछाल था जो मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से आधिक्य लाभ के भाग (₹ 79,988 करोड़) से वृद्धि के कारण था।
- पिछले दो वित्त वर्षों में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में गिरावट हुई है। विनिवेश से प्राप्तियां, जोकि ऐसी प्राप्तियों का मुख्य भाग है, वित्त वर्ष 19 में ₹72,620 करोड़ से वित्त वर्ष 20 में ₹48,234 करोड़ तक घट गयी। वर्ष में विनिवेश प्राप्तियां, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (₹7,500 करोड़), राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (₹6,165 करोड़), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (₹5,719 करोड़), कोयला इंडिया लिमिटेड (₹5,673 करोड़), नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹4,000 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹3,850 करोड़), कामराजर पोर्ट लिमिटेड (₹2,383 करोड़), आई आर सी टी सी लिमिटेड (₹1,114 करोड़), भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (₹821 करोड़) आदि से संबंधित थी।

(पैरा 1.7)

- वित्त वर्ष 20 में ₹1,14,59,551 करोड़ के कुल संवितरण में, समेकित निधि से संवितरण 81.80 प्रतिशत (लोक ऋण से पुनर्भुगतान 55.20 प्रतिशत और समेकित निधि से कुल व्यय 26.60 प्रतिशत था) और शेष 18.20 प्रतिशत लोक

लेखा से था। समेकित निधि संवितरण में, लोक ऋण और ऋण व अग्रिम, दोनों के पुनर्भुगतान के भाग गिरावट की प्रवृत्ति में थे जबकि पिछले तीन वर्षों में राजस्व व्यय के भाग में वृद्धि हुई थी।

- पिछले पांच वर्षों में व्यय का क्षेत्रीय भाग स्थिर रहा है। हालांकि सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के प्रकरण में सबसे अधिक वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई। आर्थिक क्षेत्र पर व्यय में वित्त वर्ष 19 तुलना में वित्त वर्ष 20 में ₹43,131 करोड़ की वृद्धि देखी गई। यह मुख्य रूप से 'फसल कृषि व्यवस्था' (मुख्यतः पी एम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत) और 'खाद्य, भंडारण तथा माल-भंडारण' (खाद्य सब्सिडी) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।
- वित्त वर्ष 19 की तुलना में, वित्त वर्ष 20 में विभिन्न स्पष्ट सब्सिडियों पर व्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई जिससे सब्सिडी पर कुल व्यय 16.59 प्रतिशत बढ़ गया। हालांकि, खाद्य सब्सिडी पर व्यय की उल्लेखनीय ढंग से न्यूनोक्ति रही क्योंकि राष्ट्रीय लघु बचत निधि से वित्तपोषण किया गया था।

(पैरा 1.8)

- 31 मार्च 2020 तक, कुल बकाया लोक लेखा देयताएं ₹8,79,325 करोड़ दर्ज की गई जिसमें लघु बचत और भविष्य निधि के ₹5,74,881 करोड़ तथा अन्य दायित्वों के ₹3,04,444 करोड़ सम्मिलित थे। इसमें, हालांकि, ₹9,99,409 करोड़ की देयताएं जो एन एस एस एफ द्वारा विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों (₹4,40,438 करोड़) और सरकारी उपक्रम (₹3,66,546 करोड़) में निवेश, डाक कार्यालय बीमा निधि से संबंधित ₹82,963 करोड़ का निवेश और एन एस एस एफ के संचित घाटे (₹1,09,462 करोड़) से संबंधित थी, सम्मिलित नहीं थी।

(पैरा 1.9)

- 31 मार्च 2018 तक, संघ सरकार के कुल ऋण ₹66,51,365 करोड़ से 31 मार्च 2019 को ₹73,44,902 करोड़ तक बढ़ गए और पुनः 31 मार्च 2020 को ₹83,19,740 करोड़ तक बढ़े। हालांकि लोक ऋण पिछले तीन वर्षों में जी डी पी के 39-41 प्रतिशत के अंतराल में ही रहा। सात वर्षों के भीतर मोचन के कारण बाजार ऋण ₹23,54,267 करोड़ (लगभग बाजार ऋण का 37 प्रतिशत) रहा।

(पैरा 1.10)

- वास्तविक राजस्व घाटा बी ई स्तर और आर ई स्तर से क्रमशः 37.43 प्रतिशत और 33.36 प्रतिशत अधिक थी, जो मुख्यतः कम कर प्राप्तियां (आर आई स्तर पर ₹1,47,995 करोड़) और व्यय के उस अनुरूप संपीड़न न करने के कारण था। इसी प्रकार, वास्तविक राजकोषीय घाटा, बी ई और आर ई स्तर से तुलना पर क्रमशः ₹2,43,970 करोड़ तथा ₹1,69,001 करोड़ अधिक था, जोकि अनुमानित विविध पूंजीगत प्राप्तियों के कम होने के कारण था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 20 में राजस्व लेखा में ₹10,31,126 करोड़ की एफ डी में से ₹6,67,237 करोड़ वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.66 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थे।

(पैरा 1.3 और 1.10.1)

अध्याय 2: वित्त लेखों पर टिप्पणियां

पारदर्शिता और प्रकटीकरण के मामले

- लघु शीर्ष 800 का भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा सतत उपयोग किया गया। वित्त वर्ष 20 के दौरान, ₹39,838 करोड़ का कुल व्यय विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया। इसके अलावा, ₹16,892 करोड़ की प्राप्तियों को भी वित्त वर्ष 20 के दौरान 'लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज किया गया।

(पैरा 2.2.1)

- यू जी एफ ए के 16 विवरणियों में कुल 254 फुटनोट लेनदेन के आंकड़ों के संबंध में अतिरिक्त सूचना के प्रकटीकरण के लिए जोड़े गए। ये फुटनोट, हालांकि, महत्वपूर्ण लेनदेन से संबंधित थे परंतु संक्षिप्त और गुप्त थे व कुछ मामलों को साल दर साल बिना समाधान किए, दोहराया जा रहा था।

(पैरा 2.2.2.4)

लेखों की यथार्थता से संबंधित मुद्दे

- सिविल मंत्रालयों, डाक, दूरसंचार, रक्षा और रेलवे से संबंधित उचंत शीर्षों में केवल निविल शेष दिखाया गया और इस प्रकार इन शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग क्रेडिट व डेबिट शेष के वास्तविक परिमाण को प्रकट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, यू जी एफ ए के मुख्य तथा लघु शीर्ष स्तरों, दोनों में उचंत शेष की महत्वपूर्ण रूप से न्यूनोक्ति हुई। फलस्वरूप, पी ए ओ उचंत के अंतर्गत

8.3 प्रतिशत, उचंत लेखे (सिविल) के अंतर्गत 70.2 प्रतिशत और पी एस बी उचंत के अंतर्गत 35.5 प्रतिशत की दर से शेषों को गलत प्रस्तुत किया गया।

(पैरा 2.3.1.1)

- वित्त वर्ष 18 में, वर्ष के अंत तक आई जी एस टी में ₹1,76,688 करोड़ का शेष बाकी था। इसमें से, भारत सरकार ने केन्द्रीय कर के अंतरण के लिए वित्त आयोग के सूत्र को अपनाकर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को आई जी एस टी के तहत ₹67,998 करोड़ का अंतरिम रूप से अंतरण किया। अनाबंटित आई जी एस टी शेष के मुद्दे पर 2019 की सी ए जी की प्रतिवेदन सं. 2 और पुनः प्रतिवेदन सं. 11 में चर्चा की गई। इसके बाद, मई 2020 में, इस मुद्दे पर सी ए जी की टिप्पणियों को उद्घृत करते हुए सरकार ने ₹1,76,688 करोड़ के आई जी एस टी शेष को केन्द्र और राज्यों को 50:50 के आधार पर आबंटित करने का निर्णय लिया तथा वित्त वर्ष 18 में अंतरिक आई जी एस टी का उत्क्रमण किया।

आई जी एस टी शेष के आंशिक रूप से समायोजन के लिए, जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में हस्तांतरण के लिए जून 2020 में ₹33,412 करोड़ की राशि के व्यय को संस्वीकृति दी गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹33,412 करोड़ के व्यय को जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से लेखों के बंद करने के बाद वित्त वर्ष 20 के लेखों में शामिल किया जबकि इसे वित्तीय वर्ष 21 में स्वीकृति दी गई, जिससे निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ। यह भी ध्यान में आया कि समायोजन या तो जर्नल प्रविष्टि (जे ई) में या यू जी एफ ए के सम्बंधित विवरणों में इन लेनदेनों द्वारा कवर किये गए विभिन्न खातों के शीर्षों के लिए सकल शब्दों में निहितार्थ के किसी भी प्रकटीकरण के बिना लेनदेन के शुद्ध प्रभाव के सन्दर्भ में किया गया था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 18 के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अधिक भुगतान के रूप में गणना की गई राशि को वित्तीय वर्ष 21 या बाद में देय मुआवजे के बजाय उस वर्ष से सम्बंधित आई जी एस टी की बकाया राशि के लिए समायोजित किया गया जैसा कि जी एस टी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 में प्रावधान है।

(पैरा 2.3.3)

- वित्त वर्ष 20 में ₹95,553 करोड़ उपकर के संग्रह के प्रति ₹1,53,910 करोड़ की राशि को जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण किया गया जोकि एकत्रण से ₹58,357 करोड़ अधिक अंतरण था। हालांकि, इस आधिक्य में जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से जून 2020 (वित्त वर्ष 20 के समापन के बाद) में ₹33,412 करोड़ की राशि का अंतरण शामिल था। इस प्रकार 31 मार्च 2019 तक ₹47,272 करोड़ की राशि के कम अंतरण की तुलना में 31 मार्च 2020 तक वित्त वर्ष 20 में समेकित निधि के कुल एकत्रण से ₹24,945 करोड़ का अधिक अंतरण था। अतः 31 मार्च 2020 तक पिछले वर्षों में एकत्रित किये गये ₹22,327 करोड़ के क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में अभी भी किया जाना बाकी था।

(पैरा 2.3.4)

- वित्तीय वर्ष 20 के दौरान बाह्य ऋण की विनिमय दर में भिन्नता के कारण ₹3,108 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया। हालांकि, वर्ष के दौरान उसी राशि को बाह्य ऋण की प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया जोकि सरकारी लेखांकन नियमों के तहत प्रावधान के विपरीत था।

(पैरा 2.3.7)

डेटा अखंडता और पूर्णता के मामले

- तीन मंत्रालयों/विभागों के लेखांकन प्राधिकरण (रसायन एवं उर्वरक-फार्मास्युटिकल उद्योग और नागर विमानन) वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹2,027 करोड़ के गारंटी शुल्क की वसूली में विफल रहें।

(पैरा 2.4.1)

- यू जी एफ ए के विवरणी 11 में प्रकृति, निवेश, अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, पूंजी और संघ सरकार की 45 इकाइयों में निवेश के प्रतिशत पर अपूर्ण सूचना थी जबकि 22 इकाइयों में वित्त वर्ष 20 में निवेश/विनिवेश के बावजूद भी इक्विटी शेयर की प्रतिशतता पूर्व वर्ष से अपरिवर्तित रही। इसके अलावा तीन इकाइयों के संबंध में, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत तथा विवरणी 11 में दर्शाये गए विनिवेश ब्यौरे बेमेल थे।

(पैरा 2.4.3 और 2.4.4)

- यू टी आई के निर्दिष्ट उपक्रम (एस यू यू टी आई) ने अपने पास रखे गए शेयरों के एक हिस्से का निपटान किया और विक्रय से प्राप्त आय के साथ-साथ निवेश से आय को वित्त वर्ष 20 के दौरान संघ सरकार को हस्तांतरित कर दिया। ₹2,069.86 करोड़ की प्राप्तियों को यू जी एफ ए में मुख्य शीर्ष 4000 'विविध पूंजीगत प्राप्तियां' के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियां' (लघु शीर्ष 800) में लेखांकित किया। हालांकि इन प्राप्तियों को गैर-कर राजस्व के रूप में दर्ज किया जाना था।

(पैरा 2.4.7)

उपकर/ उगाही के लेखांकन से संबंधित मुद्दे

- संसद ने वित्त वर्ष 20 के बजट प्राक्कलन में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) की राशि ₹8,350 करोड़ का सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) में अंतरण को संस्वीकृति दी थी। वित्त वर्ष 20 में यू ए एल की कुल संगृहीत राशि ₹7,961.53 करोड़ की तुलना में यू एस ओ निधि में केवल ₹2,926 करोड़ का हस्तांतरण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यू एस ओ निधि में ₹5,035.53 करोड़ राशि का कम हस्तांतरण हुआ।

(पैरा 2.6.1)

- वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 20 की अवधि के लिये यू जी एफ ए के विवरण 8 के अनुसार, कच्चे तेल पर संग्रहीत कुल उपकार ₹1,28,461 करोड़ था। उपर्युक्त वर्षों के लिये यू जी एफ ए का विवरण 9 दर्शाता है कि उपकर की कुल आय में से कोई धनराशि तेल उद्योग विकास बोर्ड को हस्तांतरित नहीं हुई थी। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा उपकर के माध्यम से ₹72,384 करोड़ के संग्रहण के प्रति विगत पाँच वर्षों के दौरान तेल उद्योग के विकास संबंधित गतिविधियों पर केवल ₹15,506 करोड़ खर्च किये गये थे।

(पैरा 2.6.3)

- यद्यपि चार प्रतिशत की समग्र दर से नया स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया परन्तु वित्त वर्ष 20 के लिये बी ई और आर ई ने इस उपकर की आय को पूर्ववर्ती प्राथमिक शिक्षा कोष और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष के लिये हस्तांतरित करना जारी रखा जिसे क्रमशः प्राथमिक शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के लिये बनाया गया था। इसके अलावा,

उपकर से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये किसी भी प्रकार का व्यय परिकल्पित नहीं किया गया था और न ही इस उद्देश्य के लिये समर्पित कोष सृजित किया गया था।

(पैरा 2.6.4)

- यू जी एफ ए के विवरण 8 और 13 एवं बजट विवरण की जानकारी से पता चला है कि विवरण 13 ने केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी आर आई एफ) के बजाय केन्द्रीय सड़क निधि के रूप में निधि को चित्रित करना जारी रखा। इसके अलावा, सी आर आई एफ अधिनियम के तहत ₹1,22,440 करोड़ उपकर के कुल संग्रहण के प्रति संसद ने विनियोग के लिये ₹1,22,369 करोड़ की मंजूरी दी। हालांकि, निधि में वास्तविक हस्तांतरण केवल ₹90,252 करोड़ था। लघु हस्तांतरण का एक हिस्सा रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सुरक्षा निधि और विद्युत मंत्रालय द्वारा (अन्य निधियों) में क्रमशः ₹17,250 करोड़ और ₹4,380 करोड़ के त्रुटिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण के कारण था।

(पैरा 2.6.5)

मिलान और अनुचित लेखांकन से संबंधित मुद्दे

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृत राजस्व शीर्ष 3054.80.797 के स्थान पर पूंजीगत शीर्ष 5054.80.797 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण के लिये ₹5,000 करोड़ राशि का लोक लेखा में अंतरण किया। इसके अलावा, निधि से किए गए ₹5,000 करोड़ के व्यय को अनुमोदित शीर्ष 5054.01.337 के स्थान पर शीर्ष 5054.01.190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। यद्यपि वित्त वर्ष 20 में राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रिकरण से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी, मुद्रिकरण से प्राप्त आय की जगह सकल बजटीय सहायता के द्वारा निधि को राशि हस्तांतरित की गई थी। इन निधियों का उपयोग सड़क कार्य के बजाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश के रूप में पूंजीगत व्यय करने के लिये किया गया था।

(पैरा 2.7.1)

- वित्तीय वर्ष 20 में, शत्रु सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त ₹1,882.40 करोड़ की राशि को नये खोले गये लेखाशीर्ष 4000.05.101-वित्तीय परिसम्पत्तियों की

ब्रिक्री के स्थान पर लेखाशीर्ष 4000.04.190.22.01.00 - भारत की अभिरक्षक सम्पत्ति में दर्ज किया गया था।

(पैरा 2.7.3)

अध्याय 3: विनियोग लेखों पर टिप्पणियां

- वित्त वर्ष 20 के दौरान, प्राधिकरण की तुलना में ₹32,637.79 करोड़ से अधिक का संवितरण हुआ जिसमें रक्षा मंत्रालय के दो अनुदान और राजस्व विभाग (डी ओ आर) से संबंधित एक अनुदान शामिल था। डी ओ आर से संबंधित अधिकता के मामले में ₹31,934.48 करोड़ की अधिक राशि का कारण वित्त वर्ष 18 से संबंधित आई जी एस टी की शेष राशि का जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में हस्तांतरण बताया गया है। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि अत्यधिक व्यय से बचा जा सकता था अगर सरकार आई जी एस टी के कम हस्तांतरण के मामले को हल करने के लिये समय पर कार्रवाई करती। यह मामला सी ए जी के प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था जो कि फरवरी/जुलाई 2019 से सरकार के पास उपलब्ध थे और सरकार के पास (अनुपूरक अनुदान द्वारा) आवश्यक प्रावधान करने की गुंजाइश थी।

(पैरा 3.2.1)

- वित्त वर्ष 20 के दौरान, सभी अनुदानों और विनियोगों के अन्तर्गत कुल बचत ₹4,10,158.38 करोड़ थी जो कुल प्राधिकरण का 3.97 प्रतिशत था। 61 अनुदानों/विनियोगों के 74 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई जिसकी कुल राशि ₹4,07,358.03 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 20 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले 13 अनुदानों/ विनियोगों में से छः में वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 18 में भी इतनी बड़ी बचत थी।

(पैरा 3.2.2)

- ₹1,65,250 करोड़ की बचत व्यय के नियमन के कारण हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम की संशोधित अनुमान स्तर पर ₹76,000 करोड़ की खाद्य सब्सिडी में कटौती, एफ सी आई को अर्थोपाय अग्रिम जारी न करने के कारण ₹50,000 करोड़, राष्ट्रीय निवेश निधि/ केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में ₹27,473.27 करोड़ के कम हस्तांतरण आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, ₹94,289 करोड़ की बचत योजनाओं एवं गतिविधियों के

क्रियान्वयन में अन्तराल और कमियों को दर्शाती हैं जबकि ₹58,097 करोड़ की बचत अवास्तविक बजट अनुमान के कारण थी। इसके अलावा, ₹21,300 करोड़ की बचत आरक्षित निधि में निधियों का अंतरण न करने के कारण थी।

(पैरा 3.2.2.3)

- 25 उपशीर्षों में, 14 अनुदानों/ विनियोगों के अंतर्गत ₹2,168.90 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान उच्चतर व्यय की प्रत्याशा में वित्त वर्ष 20 में प्राप्त किये गये थे लेकिन अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था।

(पैरा 3.3)

- अनुदान/ विनियोग जिसमें ₹100 करोड़ या उससे अधिक की राशि का अभ्यर्ण/ व्यपगत था, की संवीक्षा से पता चला कि 33 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में ₹1,70,103.02 करोड़ या तो 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किये गये थे या इन्हें व्यपगत होने दिया गया।

(पैरा 3.6)

- पी एस बी उचंत शीर्ष के अंतर्गत सिविल पेंशन व्यय के संबंध में ₹9,745.49 करोड़ तथा रक्षा पेंशन व्यय के संबंध में ₹17,045.71 करोड़ के शेष संचित हो गये थे। यह संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखों में पेंशन स्क्रोल के गैर निपटान के कारण था जिसके परिणामस्वरूप व्यय में कमी एवं आगामी वर्षों में देयता का स्थगन हुआ।

(पैरा 3.9.1)

